



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 19.12.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 637/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में
वांछित 25 हजार रुपये के इनामी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक
बागपत के निर्देशन में
बागपत पुलिस द्वारा
जनपद में अपराधों की
रोकथाम एवं
वांछित/इनामी अभियुक्तों
की गिरफ्तारी हेतु चलाये
जा रहे अभियान के
अन्तर्गत थाना बडौत



पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 637/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25
हजार रुपये के इनामी 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम
वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 25
हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अजीत पुत्र राजवीर निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत।

अभियुक्त का गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक 19.12.2025 समय 11.20 बजे दिल्ली बस अड्डा थाना बडौत क्षेत्र।

गिरफ्तार अभियुक्त मोर्डन का आपराधिक इतिहास –

- 1-मु0अ0सं0 757/23 धारा 307/323 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 357/2025 धारा 109/3(5)/352 बी.एन.एस. व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 637/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तोगी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 399 राहुल चौहान थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



Meticulous Investigation & Prosecution **BAGHPAT POLICE**

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में वादी की पुत्री का अपहरण करने की घटना कारित करने के आरोपी अरुण को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष 09 माह का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2018 में अभियुक्त अरुण पुत्र जयपाल निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी की पुत्री का अपहरण करने घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 1334/2018 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 19.12.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अरुण को दोषी पाते हुए 01 वर्ष 09 माह के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



श्री नरेन्द्र पंवार
एडीजीसी



है0का0 रविन्द्र
कोर्ट पेशकार



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 19.12.2025

थाना रमाला पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 341/2025 धारा 3/10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

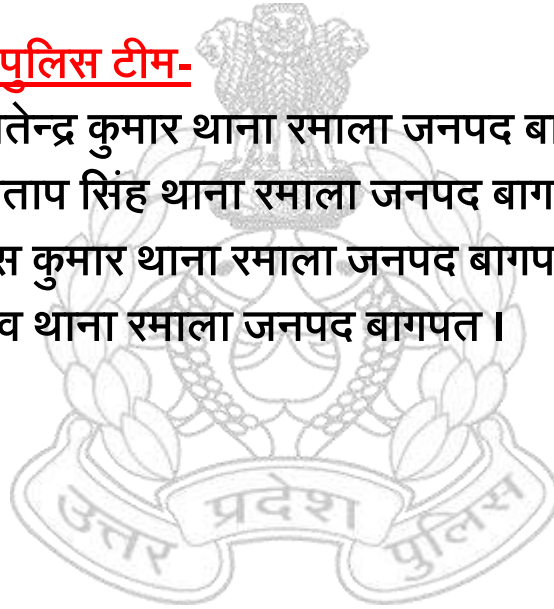
मल्लू पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 36/23 धारा 380/427 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2- मु0अ0सं0 63/23 धारा 379 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3- मु0अ0सं0 75/23 धारा 379 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4- मु0अ0सं0 15/23 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत।
- 5- मु0अ0सं0 115/23 धारा 379/380411 भादवि 3/4/25 आयुध अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 6- मु0अ0सं0 230/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 7- मु0अ0सं0 108/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-का0 607 कपिल देव थाना रमाला जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 19.12.2025

थाना बिनौली पुलिस ने एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

रविन्द्र पुत्र रतन निवासी बुढसैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-है0का0 399 वीरपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।